भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1133

जिसका उत्तर सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया

बीमा क्षेत्र के लिए लेखा मानक

1133. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के सात मिलकर देश में लेखांकन और लेखापरीक्षा फर्मों को एकत्र करने और बीमा क्षेत्र तथा सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के लिए लेखाकंन मानक रखने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इससे देश में कॉरपोरेट शासन प्रणाली में सुधार लाने में किस प्रकार मदद मिलेगी;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए प्रस्तावित लेखा मानकों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक और बीमा कंपनियों के साथ कोई चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मानकों को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के अनुरुप बने रहने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुपालन में (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत भारतीय लेखा मानकों को अधिसूचित किया है। बीमा कंपनियां इनका पालन कर रही हैं।

हाल ही में आई एफआरएस 17- बीमा संविदाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी की गई हैं, जिनमें एकल लेखा मानक उपलब्ध कराया जाता है, जो वर्तमान अनुमान का प्रयोग करके बीमा संविदाओं का आकलन करता है ताकि पूरे विश्व में निवेशक किसी भी देश में बीमा संविदा जारी करने वाली कंपनियों की वित्तीय स्थिति तथा कार्य निष्पादन को समझ सके तथा उनकी तुलना कर सके।

भारतीय बीमा मानक 117 जो आईएफआरएस 17 के अनुरुप है के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण (ईरडाई) के बीच विचार-विमर्श किया गया है। ईरडाई ने आईएफआरएस/भारतीय लेखा मानक को बीमा क्षेत्र में लागू करने के लिए बीमा कंपनियों के साथ विचार-विमर्श किया है। इस स्तर पर एलएलपी के लिए कोई मानक अधिसूचित करने का प्रस्ताव नहीं है।

*****